आचार्य शांतिसागर महाराज स्मारक के लोकार्पण को लेकर निकली भव्य शोभायात्रा

निवाई। सकल दिगम्बर जैन समाज के तत्वावधान में आयोजित बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागर महाराज के शताब्दी वर्ष महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। जिसको लेकर मंगलवार को आचार्य वर्धमान सागर महाराज ससंघ के सानिध्य में प्रतिष्ठाचार्य पण्डित धर्मचंद शास्त्री के निर्देशन में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में बेंड बाजे, बग्गियां, डीजे व जगह जगह शोभायात्रा के मार्ग में आचार्य शांतिसागर महाराज के लिखित श्लोगनो के साथ निवाई का वातावरण धर्ममय हुआ।

इसके साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा शोभायात्रा पर पुष्प वृष्टि की गई। जैन समाज के मीडिया प्रभारी सुनील भाणजा एवं विमल जौंला ने बताया कि शोभायात्रा का जुलूस श्री दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर से विधिवत मंत्रोच्चार द्वारा गाजे बाजे के साथ रवाना हुआ। शोभायात्रा का जुलूस पाटनी मोहल्ला, पटेल रोड, बड़ा बाजार, बिलाला चोक, बिचला जैन मंदिर, चोहट्टी बाजार, गणगोरी बाजार व पुलिस थाना होते हुए पारसनाथ उधान सन्त निवास

शांतिसागर स्मारक के लोकार्पण समारोह पर आयोजित शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालु।

नसियां जैन मंदिर पहुंचा। जहां आचार्य वर्धमान सागर महाराज ससंघ के सानिध्य में एवं पण्डित धर्मचंद शास्त्री के निर्देशन में सुशील कुमार नीरा जैन ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद आचार्य शांतिसागर स्मारक स्थल की शुद्धि करते हुए पूजा अर्चना की गई। शोभायात्रा में नेमीचंद गंगवाल, विनोद सुनारा, मोहित चंवरिया, विमल जैन, विष्णु बोहरा, हुकमचंद जैन, शंभु कठमाणा, दिलीप भाणजा, अरुण लटुरिया, लालचंद कठमाणा, सुरेन्द्र माधोराजपुरा, अमित कटारिया, रमेश गिन्दोडी, सुरेश भाणजा, शिखरचंद माधोराजपुरा, पदमचन्द ललवाडी, ज्ञानचंद चंवरिया व लोकेश झिराना सहित कई श्रद्धालुओं ने आचार्यश्री के श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया।

इस अवसर पर आचार्य वर्धमान सागर महाराज एवं जैन मुनि हितेन्द्र सागर महाराज ने आचार्य शांतिसागर महाराज के जीवन चरित्र पर सम्बोधित करते हुए कहा कि सच्चे देव-शास्व गुरू जैन संस्कृति के मूल बिन्दु है। भारत देश महान है जहाँ त्याग, तप, साधना एवं चारित्र प्रधान माना जाता है। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य संयम पथ पर चल कर सिद्ध शिला पर बैठना है।

हमारे वीतरागी संत आचार्य महान हैं वो अपना कल्याण के साथ-साथ जीव जगत का भी कल्याण करते हैं, उनके अनेकों उपकार हैं।

कलेक्टर ने नगर पालिका आम चुनावों हेतु रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए

अलवर । जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) एवं जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने नगर निगम एवं नगर पालिका के आम चुनाव 2026 के लिए सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निगम अलवर के आम चुनाव 2026 के लिए सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्य पदों के निर्वाचन हेतु जिला कलेक्टर रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर उप महा निरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक प्रथम, उप महा निरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांग द्वितीय, राजस्व अपील अधिकारी, सहायक कलेक्टर व नगर विकास न्यास के भूमि अवाप्ति अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे।

इसी प्रकार नगर निकायों के आम चुनाव 2026 के लिए नगर पालिका

> ■ राजस्व अपील अधिकारी, सहायक कलेक्टर व नगर विकास न्यास के भूमि अवाप्ति अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे

सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्य पदों के निर्वाचन हेतु नगर पालिका राजगढ के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजगढ रिटर्निंग अधिकारी एवं तहसीलदार राजगढ सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे। नगर पालिका कठूमर के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कठूमर रिटर्निंग अधिकारी एवं तहसीलदार कठूमर सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे।

नगर पालिका खेरली के लिए सहायक कलेक्टर कठूमर रिटर्निंग अधिकारी एवं नायब तहसीलदार खेरली सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे। नगर पालिका थानागाजी के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट थानागाजी रिटर्निंग अधिकारी एवं तहसीलदार थानागाजी सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे। नगर पालिका रामगढ के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगढ रिटर्निंग अधिकारी एवं तहसीलदार रामगढ सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे।

नगर पालिका लक्ष्मणगढ के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ रिटर्निंग अधिकारी एवं तहसीलदार लक्ष्मणगढ सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे। नगर पालिका गोविन्दगढ के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोविन्दगढ रिटर्निंग अधिकारी एवं तहसीलदार गोविन्दगढ सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे। नगर पालिका बडौदामेव के लिए सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ रिटर्निंग अधिकारी एवं नायब तहसीलदार बडौदामेव सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे।

मेजर दलपत सिंह के सर्किल निर्माण के लिए 8 लाख रुपए की घोषणा

फुलेरा। रावणा राजपूत समाज फुलेरा की ओर से फुलेरा विधायक विद्याधरसिंह चौधरी एवं निवर्तमान पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र अग्रवाल का हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह की मूर्ति एवं पार्क निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं बोर्ड स्तर पर सहयोग प्रदान करने पर माला व साफा बंधवाकर आभार व्यक्त किया गया।

समाज के जिला पदाधिकारी गोविंद सिंह बड़गुर्जर ने बताया कि इस अवसर पर रावणा राजपूत समाज नगर अध्यक्ष हनुमान सिंह पड़िहार, गिरधारी सिंह शेखावत, रमेशसिंह पंवार, राजेन्द्रसिंह किलानोत, रणजीतसिंह नरुका, ओम सिंह बड़गुर्जर, रामसिंह पड़िहार, वीरेंद्र सिंह दीया, मानसिंह, मनोहर सिंह, महेश सिंह, कानसिंह पड़िहार, इंद्रसिंह चौहान एवं गोविंद सिंह चौहान सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक विद्याधरसिंह चौधरी ने मेजर दलपत सिंह हाइफा हीरो

विधायक का सम्मान करते रावणा राजपूत समाज के लोग।

सर्किल के निर्माण के लिए विधायक कोष से 8 लाख रुपये की राशि की अनुशंषा करने की घोषणा की गई साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि और आवश्यकता होगी तो तन, मन व धन से सहयोग किया जाएगा। विधायक ने समाज को धन्यवाद देते हुए कहा कि समाज सदैव राजनीति से ऊपर होता है और सभी विचारधाराओं के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने स्वयं भी राजनीति से ऊपर उठकर सदैव समाज के सहयोग का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में नगर कांग्रेस संगठन महामंत्री शैलेंद्र शर्मा, गोविंदसिंह बड़गुर्जर, सतेंद्र सिंह नरुका, महेंद्र सिंह राठौड़, वीरेंद्र सिंह, हिम्मत सिंह, दिनेश सिंह सहित समाज के प्रमुख लोग उपस्थित रहे।

जमीन धोखाधड़ी मामले में दस साल से फरार पूर्व सरपंच रमेश मोरानी गिरफ्तार

नरैना। नरैना कस्बे की ग्राम पंचायत के वर्ष 2005 से 10 तक सरपंच रहे रमेश मोरानी (सिंधी) को जमीन धोखाधड़ी मामले में जयपुर श्याम नगर थाना पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पूर्व सरपंच रमेश मोरानी पुत्र स्व. नानग राम मोरानी श्याम नगर थाना पुलिस का गत दस साल से फरार वांटेड आरोपी था।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण ललित किशोर शर्मा ने बताया कि रमेश मोरानी ने जमीन सौदे के नाम पर धोखाधड़ी कर मोटी राशि हड़पकरने के मामले में वर्ष 2016 से फरार चल रहा था। फरवरी 2016 में बगरू के कैरिया का वास निवासी जगदीश प्रसाद शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि जनवरी 2014 में रानी सती नगर पुलिस थाना श्याम नगर निवासी रमेश मोरानी पुत्र नानगराम मोरानी ने मजबूरी बताते हुए लगभग 300 बीघा जमीन बेचने का झांसा देकर पीड़ित जगदीश प्रसाद को विश्वास में लेकर 16 लाख रुपए नगद व 5 लाख रुपए का चेक ले लिया। इसके बाद रजिस्ट्री कराने के लिए मोरानी ने पीड़ित से 25 लाख रूपए ओर मांगे। जब पीड़ित ने रजिस्ट्री के लिए सम्पर्क किया तो आरोपी रमेश मोरानी ने फोन उठाना बंद कर दिया और फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा था। बता दें गत वर्ष धोखाधड़ी के आरोपी रमेश मोरानी के बड़े बेटे रवि मोरानी को भी मुहाना थाना पुलिस ने ज्वेलरी लूट की झूठी सूचना देने के लिए गिरफ्तार किया था। रवि मोरानी ने ज्वेलरी का इंश्योरेंस करवा रखा था ओर लूट की झूठी सूचना से वह इंश्योरेंस क्लेम पाना चाहता था लेकिन पुलिस जांच में उसकी सूचना गलत पाई गई।

खोया पाया

मेरे आवास 30/07/11 स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर के मूल नियमितीकरण कम No-Dues कहीं खो गये हैं जो कि कैलाश चन्द सोनी के नाम से है कृपया मिलने पर सूचित करें-9414902270

मकान नंबर 10/285, 10/286 मालवीय नगर जयपुर का नियमितकरण पत्र कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें प्रीति सिंह-8279225771

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1221 चूंकि प्रार्थी श्री Sunil sharma, 109, nemi nagar, vistar behind petrol pump vaishali nagar jaipur ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास नेशनल एजुकेशन सोसायटी गोपालपुरा बाईपास, त्रिवेणी नगर, जयपुर Ryan international school padmavati colony B ninan nagar kings road, jaipur-302019 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 03.04.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1220 चूंकि प्रार्थी श्री Sunil Kumar T 28, mahaveer nagar tonk road, jaipur ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री दिगम्बर जैन मंदिर महावीर नगर प्रबन्ध समिति, जयपुर Shri digmbar jain mandir mahaveer nagar tonk road, jaipur के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 03.04.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1223 चूंकि प्रार्थी श्री Premraj Sharma D 68/302 shyam dham apartment madho singh road banipark ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास मोरोली जनविकास ट्रस्ट D 68/302 shyam dham apartment madho singh road Near coliectorate, Jaipur-302016 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 03.04.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1192 चूंकि प्रार्थी श्री Narendra Kumar Jain E 73, surya nagar taro ki koot behind ranu ka kua tonk road jaipur ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास Shri shantinath digamber jain mandir ji trust taro ki koot, 84, surya nagar taro ki koot jaipur, rajasthan के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 20.03.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1141 चूंकि प्रार्थी श्री RAM COPAL GUPTA, B-15/8 SHIV MARG, BANI PARK JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास रोहित गुप्ता तारा देवी चैरीटेबल ट्रस्ट B-15/8 SHIV MARG, BANI PARK JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 20.03.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय नगर निगम, जयपुर
(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)
(राजस्व- द्वितीय प्रकोष्ठ)

क्रमांकः एफ-6()साप्र./ उपराज-द्वितीय/नगिज./2026/674 दि. 20/01/2026

-: सार्वजनिक सूचना :-

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा भू. सं. बी-169, जनता कॉलोनी, जयपुर क्षेत्रफल 464 वर्गगज का पट्टा श्री राजेन्द्र मोहन गुलाटी पुत्र श्री रामनारायण गुलाटी के नाम से जारी किया गया।
तत्पश्चात् नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड का भगवती देवी शर्मा के नाम से नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत भगवती देवी शर्मा उर्फ भगवती देवी पुत्री स्व. श्री गंगाचरण दीक्षित की नोटरी प्रमाणित वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयत बाबत् अण्डरटेकिंग, वसीयतों के गवाहों के शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड क्षेत्रफल 464 वर्गगज का श्री सोमदत्त दीक्षित पुत्र श्री श्याम शंकर दीक्षित के नाम से नाम हस्तांतरण किया जाना है। इस उपरोक्तानुसार नाम हस्तांतरण जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त राजस्व-द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तांतरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

अशोक कुमार शर्मा (R.A.S.) उपायुक्त (राजस्व-द्वितीय) नगर निगम, जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्र.सं. 02 जयपुर महानगर (प्रथम), जयपुर
...विरूद्ध ...
वाद बाबत निरस्त किए जाने दान पत्र
वाद सं. 226सन् 2025

नाम सुशीला देवी पत्नि मनसुख जाति राणा स्थान निवासी प्लाट नं. 241 रैगर कॉलोनी, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर (राज.) ने आपके विरूद्ध निषेधाज्ञा के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 23 माह 01 सन् 2026 को दिन में 10.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो या ना हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 20 माह 01 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर
अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02
जयपुर महानगर प्रथम

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर
जडाव देवी विरूद्ध शांति देवी व अन्य
वाद बाबत ..... घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं. 468 सन् 2025

बनाम— 1. श्रीमती शांति देवी पत्नि स्व. श्री माधव जाति बलाई, निवासी ग्राम मोठू का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर एवं हाल निवासी बी-5, 112, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली (राज.)। **2.** श्री हिमांशु वर्मा पुत्र स्व. श्री माधव जाति बलाई, जाति बलाई, निवासी ग्राम मोठू का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर एवं हाल निवासी बी-5, 112, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली (राज.)। **3.** पल्लवी वर्मा पुत्री स्व. श्री माधव, जाति बलाई, निवासी ग्राम मोठू का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर एवं हाल निवासी बी-5, 112, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली (राज.)। **4.** अमित पुत्र स्व. श्री बालासहाय, जाति बलाई, निवासी ग्राम पठानों का बास, पोस्ट अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर। **5.** समित पुत्र स्व. श्री बालासहाय, जाति बलाई, निवासी ग्राम पठानों का बास, पोस्ट अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर। **6.** मन्नी पुत्री स्व. श्री बालासहाय, जाति बलाई, निवासी ग्राम पठानों का बास, पोस्ट अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर। **7.** काली पुत्री स्व. श्री बालासहाय, जाति बलाई, निवासी ग्राम पठानों का बास, पोस्ट अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर। **8.** करन पुत्र स्व. श्री जगदीश, जाति बलाई, निवासी ग्राम पठानों का बास, पोस्ट अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर। **9.** रीना पुत्री स्व. श्री जगदीश, जाति बलाई, निवासी ग्राम पठानों का बास, पोस्ट अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर। **10.** सुमन पुत्री स्व. श्री जगदीश, जाति बलाई, निवासी ग्राम पठानों का बास, पोस्ट अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर। **11.** कृष्णा पुत्र स्व. श्री बाबूलाल, जाति बलाई, निवासी ग्राम पठानों का बास, पोस्ट अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर। **12.** निशा पुत्री स्व. श्री बाबूलाल, जाति बलाई, निवासी ग्राम पठानों का बास, पोस्ट अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
वादनी ने आपके विरूद्ध ..... के लिये वाद पंजीयत किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 9 माह 2 सन् 2026 को दिन में 10.30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नो का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखत समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करे। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता. 19 माह 1 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर
रीडर, उपखण्ड अधिकारी,
रामपुरा डाबड़ी मु. कोर्ट कैम्प जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1201 चूंकि प्रार्थी श्री PARMESHWAR DAS, RAMJANKI GOSHALA NAI NATH DHAM, BANSKHO BASSI, JAIPUR-303301 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री रामजानकी गोशाला समिति बस्सी बासखों BASSI BANSKHO के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 02.04.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 08/2026
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री महेश कुमार गुप्ता ने पंजीकृत प्रन्यास मंदिर श्री गोविन्द देव जी, मोदी का तिबारा दौसा जिसका पंजीयन क्रमांक 292/1967 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र-8 प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा प्रन्यास के प्रन्यासी श्री गंगा सहाय मोदी, गौरी शंकर मोदी, सत्यनारायण मोदी, बसन्ती लाल माणक, नंदकिशोर मोदी, रमेश चन्द खण्डेलवाल, विजय कुमार खण्डेलवाल, बनवारी लाल मोदी, रामाकान्त मोदी (बरेली) की मृत्यु/निष्कासित किये जाने के कारण उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाने तथा उनके स्थान पर कमलेश खण्डेलवाल, गोविन्द मोदी हरगोविन्द मोदी, राजेन्द्र खण्डेलवाल, हर्ष गोविन्द मोदी, सतीश मोदी, कृष्ण मुरारी मोदी (गुप्ता) जय गोविन्द मोदी को नवीन प्रन्यासी नियुक्त कर उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 मे आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्